BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 01 सितम्बर 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 62 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त बन्टी पुत्र चन्द्रपाल निवासी नगली इंसा थाना इचौली जनपद मेरठ द्वारा वर्ष-2020 में थाना खानपुर क्षेत्र निवासी एक लडकी के साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियों वायरल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 30.07.2020 को थाना खानपुर पर मुअसं- 209/20 धारा- 328,376,506 भादवि व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 05.09.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 01.09.2023 को मा0 न्यायालय एफटीसी-2 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त बन्टी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 62 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर